दिनांक 24.03.2021
प्रेस विज्ञप्ति 24/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मऊ/थाना सरायलखंसी</u>

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.03.2021 को थाना सरायलखंसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बकवल के पास से चेकिंग के दौरान 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामसिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सरायलखंसी पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 860/2020 धारा 147/148/149/302/120बी भादवि में वाछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रामसिंह उर्फ बंटी निवासी बढुआगोदाम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

<u>बरामदगी</u>

1–01 लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, 02 जीवित कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल बिना नम्बर।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **08 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 15 करोड रूपये कीमत के 05 किलो 150 ग्राम अवैध मारफीन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 24.03.2021 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्दौली माईनर पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान 08 मादक पदार्थ तस्कर 1–मो0 खालिद, 2–नजमुद्दीन, 3–मो0 रेहान, 4–मोइनद्दीन, 5–मुख्तार आलम, 6–हरिव्रत, 7–अभिषेक, 8–अविनाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 15 करोड रूपये कीमत के 05 किलो 150 ग्राम अवैध मारफीन, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मो0 खालिद निवासी चंदौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

2–नजमुद्दीन निवासी चंदौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

3–मो0 रेहान निवासी चंदौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

4–मोइनद्दीन निवासी चंदौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

5–मुख्तार आलम निवासी चंदौली थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

6–हरिव्रत निवासी लक्ष्मीपुर थाना रेवती जनपद बलिया।

7–अभिषेक निवासी बरोहनी थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली।

8–अविनाश निवासी कल्यानपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी

1–लगभग 15 करोड़ रूपये कीमत के 05 किलो 150 ग्राम अवैध मारफीन।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

जनपद आगरा/थाना शमशाबाद

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23.03.2021 को थाना शमशाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिवरिया के पास से चेकिंग के दौरान 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामकिशोर उर्फ छम्मो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शमशाबाद पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 45/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वाछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शमशाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामकिशोर उर्फ छम्मो निवासी गोवर्धन की ठार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुदागंज

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 750 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 23.03.2021 को थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिरचिरा पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर देवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 750 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—देवेन्द्र निवासी सतेती थाना बिल्सी जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 750 ग्राम अवैध अफीम।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 45 लाख रूपये कीमत की 1415 पेटी अवैध शराब**
- **01 ट्रक दस टयरा बरामद**

दिनांक 24.03.2021 को थाना बारादरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीसलपुर रोड़ हारून नगला पुल के पास बीडीए कालोनी के सामने दस टयरा ट्रक को चेक किया गया तो ट्रक से लगभग 45 लाख रूपये कीमत की 1415 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, तथा अभियुक्त संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजय कुमार निवासी अगरास थाना फतेहगंज वेस्ट जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 45 लाख रूपये कीमत की 1415 पेटी अवैध शराब।

2—01 ट्रक दस टयरा।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड की सजा व एक—एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो—2 जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/34/376डी/364/201 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त 1—जुल्फिकार अब्बासी, 2—दिलशाद अब्बासी, 3—इजराईल उर्फ मलानी को मृत्यु दण्ड की सजा व एक—एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्टसगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे द्वितीय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रॉबर्टसगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 18/27 एवं 18ए/28 ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक अधिनियम में अभियुक्त कृष्ण मुरारी को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद अमेठी/थाना पीपरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना पीपरपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त अरविन्द पाल को अन्तर्गत धारा 376 भादवि में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड, एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसटीएफः-अनिल दुजाना गैंग का सुपारी किलर व रूपया 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अमरदीप गिरि उर्फ शिवा गिरफ्तार।

दिनांकः 23—03—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्धनगर के मु0अ0सं0 129/20 धारा 147/148/149/307/482/115/34 भादवि के अभियोग में फरार चल रहें रू0 25000/— का इनामी अपराधी अमरदीप गिरि उर्फ शिवा को थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

अमरदीप गिरि उर्फ शिवा पुत्र शांति स्वरूप निवासी ग्राम खटकी थाना किला परीक्षितगढ, जनपद मेरठ।

बरामदगी :–

1— 01 अदद तमंचा 315 बोर

2— 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3— 01 अदद स्कूटी (सफेद रंग की, बिना नम्बर की)

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 23—03—2021 समयः लगभगः 19.40 बजे, एक मूर्ति गोल चक्कर के पास से, थाना क्षेत्र बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

विगत कुछ दिनों से वॉछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में उ0नि0 श्री ब्रहम प्रकाश, एस0टी0एफ0, फील्ड यूनिट, गौतमबुद्धनगर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से दि0 23.03.2021 को एसटीएफ फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2020 धारा 147/148/149/307/ 482/115/34 भादवि के अभियोग में फरार चल रहा ईनामी अपराधी अमरदीप उर्फ शिवा स्कूटी से एक मूर्ति गोल चक्कर याकूबपुर की तरफ से रोजा जलालपुर फाटक की ओर जाने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा एवं थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर पुलिस की संयुक्त त्वरित कार्यवाही पर उक्त स्थान से अभियुक्त अमरदीप गिरि उर्फ शिवा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अमरदीप गिरि उर्फ शिवा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है और वह हाई स्कूल पास है तथा बताया कि अनिल दुजाना का नजदीकी बदमाश कर्नल गिरी, ग्राम ऐंची थाना परीक्षितगढ, जनपद मेरठ का निवासी है, जो उसके गॉव के पास का ही है और वह उसे बचपन से जानता है। बताया कि कर्नल गिरि ने ही राहुल ठसराना, थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर से मुलाकात कराई थी और वर्ष 2014 में भट्टा पारसौल, थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर के प्रापर्टी डीलर की अपने सहयोगी राहुल ठसराना व अमित नि0 ग्राम इस्माइला जनपद बुलन्दशहर के साथ मिलकर सुपारी लेकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 220/14 धारा 302 भादवि का अभियोग दर्ज है और इस हत्या के केस में वह (अमरदीप गिरी उर्फ शिवा) जेल गया था। जेल से छूटते ही राहुल ठसराना के साथ मिलकर कस्बा धौलाना जनपद हापुड में सर्राफ की हत्या करके लूट करने की योजना बनायी, घटना को अंजाम देने से पहले

ही एस0टी0एफ0 टीम के द्वारा पकड़ लिया गया था और डेढ माह जेल में रहा था। बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर जेल में बन्द अमित बफावत नि0 जनपद मेरठ, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, के साथ मिलकर कर्नल गिरी ने थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के कपडा व्यापारी की हत्या की सुपारी रू0 06 लाख रूपये में तय की थी और कर्नल गिरी के कहने पर ही उसने (अमरदीप गिरि उर्फ शिवा) इस हत्या के लिए आगे रोहित परमार पुत्र चरतपाल सिंह नि0 ग्राम गोवला थाना जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, रिंकू भाटी पुत्र रामपाल भाटी नि0 महमदपुर केहरी थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर तथा श्याम सुन्दर उर्फ शम्भू उर्फ राजीव उर्फ फौजी पुत्र अवतार सिंह नि0 43 नहर पार्क भारत कालोनी फरीदाबाद हरियाणा आदि को जोड़ा था और दिनांक 17—02—2020 को जब सब लोग लोनी के व्यापारी की हत्या करने के लिए जा रहें थे तो मुखबिर की सूचना के आधार पर एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की नोएडा यूनिट द्वारा 06 बदमाशों को पकड लिया गया था, जबकि वह (अमरदीप गिरि उर्फ शिवा) मौके से भागने में सफल हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 129/2020 धारा 147/148/149/307/482/ 115/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वह फरार चल रहा था। उल्लेखनीय है कि इसी अभियोग में अमरदीप उर्फ शिवा पर जनपद गौतमबुद्धनगर से रूपया 25 हजार का ईनाम घोषित था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः—</u>

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	220/2014	302 भादवि	दनकौर	गौतमबुद्धनगर
2	241/2015	147/148/149/307/120बी/468/471 भादवि	धौलाना	हापुड
3	234/15	356 भादवि	धौलाना	हापुड
4	242/15	3/25 आर्म्स एक्ट	धौलाना	हापुड
5	129/20	147/148/149/307/482/115/34 भादवि	बिसरख	गौतमबुद्धनगर
6	185/21	3/25 आर्म्स एक्ट	बिसरख	गौतमबुद्धनगर
7	186/21	414 भादवि	बिसरख	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्त अमरदीप उर्फ शिवा के विरूद्व थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 185/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 186/21 धारा 414 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर द्वारा की जा रही है।

––––––